संख्या-20/2017/790/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 29 नवम्बर, 2017

विषय- जेम पोर्टल से सामग्री/सेवाओं क्रय हेतु विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/ 523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है एवं शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ एक अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी तथा एक तकनीकी विशेषज्ञ को जेम पोर्टल पर सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु दिनांक 30-11-2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के आडीटोरियम/कम्प्यूटर लैब में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है, प्रथम चरण में पूर्वान्ह 11.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक जेम की मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुश्री राधा एस0 चौहान का Sensitization and Orientation on GeM कार्यक्रम है। साथ ही, जेम की तकनीकी टीम द्वारा जेम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण किया जायेगा। द्वितीय चरण में मध्यान्ह 12.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक विभागों के वास्तविक क्रय से संबंधित अधिकारियों को जेम की तकनीकी टीम द्वारा हैण्ड्स-आन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के एक अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी तथा एक तकनीकी विशेषज्ञ के साथ उक्त प्रशिक्षण में स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की पुष्टि करने एवं अपने विभाग के भाग लेने वाले अधिकारियों के नाम भी दिनांक 29-11-2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है‌ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।